

सप्तदश

बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 30 माघ, 1945 (श०) 19 फरवरी, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 02

(1) वित्त विभाग

. 02 कुल योग -- 02

नोशनल इन्क्रीमेंट दिये जाना

- 7. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बृतलाने की कृपा करेंगे कि--
- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 1996 से हू-ब-हू केन्द्रीय वेतनमान एवं सेवा शर्ते लागू हैं ;
- (2) क्या यह बात सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अप्रील, 2023 के आदेशानुसार 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले सभी केन्द्रीय कर्मियों को एक नोशनल इन्क्रीमेंट का लाभ दिनांक 11 अप्रील, 2023 से दिया जा रहा है, परंतु राज्य में केन्द्रीय वेतनमान एवं सेवाशर्ते लागू रहने के बावजूद बिहार सरकार के कर्मियों को यह लाभ नहीं मिल रहा है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार सरकार के 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भी नोशनल इन्क्रीमेंट दिये जाने का आदेश निर्गत करते का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फर्जी निधि कम्पनी बंद कराना

- 8. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्ल् सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 जून, 2023 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "300 निधि कम्पनियों अवैध रूप से ले रही जमा" के आलोक में क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कुपा करेंगे कि--
- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पटना, औरंगाबाद, वैशाली, सारण सहित पूरे राज्य में 376 निधि कम्पनीयाँ पंजीकृत है जो राज्य की जनता से रकम जमा लेती है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि निधि (संशोधन) अधिनियम के अधीन निधि कम्पनियों को एन0डी0एच0 4 फॉर्म भरना आवश्यक है, लेकिन राज्य में संचालित 376 में से 300 निधि कम्पनियों ने एन0डी0एच0 4 फॉर्म नहीं भरा है, जिसके कारण वे सभी फर्जी है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के गरीब जनता के हित में फर्जी निधि कम्पनियों की जाँच कराकर इन्हें कबतक बन्द कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना : दिनांक 19 फरवरी, 2024 (ई0) 1 राज कुमार, सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।